संख्या-10/2016/193/74-2016-13(ब)/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 22 मार्च, 2016

विषय: अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व में पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-735/सेरी0/लेखा0/आयो0 बजट/पुर्नविनि0/2015-16, दिनांक 15 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व में रू0 666 हजार (रूपए छ लाख छियासठ हजार मात्र) के पुर्नविनियोग किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के विभागीय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय के मद संख्या-06-अन्य भत्ता एवं 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय की सम्भावित बचतों से किया जायेगा तथा उसी अनुदान संख्य-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा। पुर्नविनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2016/193(1)/74-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बी0एम0-09 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-09 की दो प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, (बी0एम0-09 की दो प्रतियां सहित)।
(6) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।
(7) प्रोग्रामर कम्प्यूटर, रेशम निदेशालय को वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in